रजिस्ट्री सं० डी-डी)-(72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 349] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 27, 1976/कार्तिक 5, 1898
No. 349] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 27, 1976/KARTIKA 5, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October 1976

G.S.R. 853(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with sub-rule (1) of rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Jammu & Kashmir and the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion)—Sixth Amendment Regulations, 1976.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, in the entries against Serial No 6 relating to the

State of Jammu & Kashmir, in column 3 for the item 'Commissioner for Agriculture Production', the following item shall be substituted, namely:—

'Divisional Commissioner, Kashmir'.

[No. 11039/15/76-AIS(I)]

S. V, S. JUNEJA, Jt. Secy.

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 1976

सा० का० नि० 853(अ).—भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उपनियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) छठा संशोधन विनियम 1976 है ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 की अनुसूची में क्रम संख्या 6 के सामने जम्मू व कश्मीर राज्य से सम्बंधित कालम 3 की प्रविष्टियों में 'कृषि उत्पादन आयुक्त' पद के स्थान पर निम्नलिखित पद प्रतिस्थापित की जायेगी :—

'संभागीय आयुक्त, कश्मीर'

[सं० 11039/15/76-अ०भा०से० (i)]

एस० वी० एस० जुनेजा, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976